

**GOOD YEAR**

**गुडयियर इंडिया लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: गुडयियर इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. 1, आई दिल्ली-110020, भारत  
कोर्टोफेर कार्यालय: न्याय कक्ष, सिविल एंड कॉमर्स अपील, प्लॉट नं. 8, कार्यालय गेट, अटॉर्नी-110 002, नई दिल्ली, भारत  
सी.आइ.एन. U74809DL1995PTC071324

ई-मेल: [info@skylinert.com](mailto:info@skylinert.com), [skyliner@skylinert.com](mailto:skyliner@skylinert.com), [skyliner@skylinert.com](mailto:skyliner@skylinert.com)

**आईडीपीएफ प्राधिकरण ("IEPFA") के  
सीमेंट खाते में शेयर अंतरण की सार्वजनिक सूचना**

**स्थिति: आईडीपीएफ खाते में उन शेयरों का अंतरण जिनके लामाश का वित्त  
वर्ष 2008 से भुगतान/दावा नहीं किया गया**

यह सूचना इससे पूर्व **नवंबर 18, 2016 और दिसंबर 16, 2016** को प्रकाशित कम्पनी नवंबर 18, 2016 और **दिसंबर 15, 2016** दिनांकित इसी सूचनाओं और **मार्च 07, 2017** से प्रभावी निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा विधि के नियमों के साथ संशोधित भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धाराओं 124 और 125 के अनुसार सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर की गई सूचना का विस्तार है जिसमें सदस्यों से आग्रह किया जा कि निरस्तित अंतिम तिथि **जनवरी 05, 2017** को कोर्टोफेर न्यायालय ("एलबीए") के अधिसूचित शेयर अंतरण को निघत विधि से 30 दिन पहले, जो बाद में हो, विघले लगातार 7 वर्षों के अपने लामाशों का नकद भुगतान प्राप्त कर लें।

इस बीच एनबीए ने आईडीपीएफ संशोधन नियम 2017 की अधिसूचना की है जो **फरवरी 28, 2017** को प्रभावी है। इसमें **दिसंबर 31, 2016** को समाप्त वित्त वर्ष से पिछले लगातार 7 वर्षों के लिए लामाश का भुगतान / दावा नहीं किए गए शेयरों के अंतरण की निघत विधि **मई 31, 2017** निर्धारित की गई है।

**स्थिति II: आईडीपीएफ में उन शेयरों का अंतरण जिनके लामाश का वित्त  
वर्ष 2008 से भुगतान/दावा नहीं किया गया**

सदस्यों से यह भी आग्रह किया जाता है कि आईडीपीएफ (लेखा, लेखांकन, अंतरण एवं वापसी) संशोधन विनियम, 2017 के अनुसार अंतरण की निघत विधि अर्थात् **जुलाई 03, 2017** समाप्त होने से पहले तथा शोध पिछले सभी 7 वर्षों के अपने लामाश (लामाशों) का नकद भुगतान प्राप्त कर लें। इसमें असफल रहने पर जिन शेयरों के लामाश के वारंट का लगातार 7 वर्षों से नकद भुगतान नहीं हुआ है उन्हें आईडीपीएफ के सीमेंट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

**उपरोक्त लामाशों और शेयरों पर दावा करने की प्रक्रिया :**

उपरोक्त का ध्यान रखते हुए जिन सदस्यों ने पिछले लगातार 7 वर्षों के लामाश वारंट का एक एक नकद भुगतान नहीं प्राप्त किया है उससे बुझा जाया है कि कम्पनी तथा कोष कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (अर्थात् मेसर्स स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के निम्नलिखित सूचना में सस्वीकृत पत्र पर आवश्यक विवरणों (अर्थात् फोलियो नंबर, डीपी-आईडी (यदि हो), वर्तमान पता और दूरभाष नं) के साथ संपर्क करें।

**रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :**

मेसर्स स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  
(सी.आइ.एन. U74809DL1995PTC071324)  
(सूचित गुडयियर इंडिया लिमिटेड)  
फ़ोन- 163 / 1, पहली मंजिल, ओखला इंडियन एरिया, प्लॉट- 1, नई दिल्ली-110020, भारत  
ईमेल : [info@skylinert.com](mailto:info@skylinert.com), दूरभाष: +9111-26812682, 83, +9111-64732681

सदस्यों से आग्रह है कि जिन लामाश वारंट का नकद भुगतान नहीं हुआ और अंतरित किए जाने वाले शेयरों के निवेशक कृपया <https://www.goodyear.co.in/about-us/investorrelations> पर देख लें। कम्पनी ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को व्यक्तिगत सूचना भेज चुकी है जिनके शेयरों का आईडीपीएफ के सीमेंट खाते में अंतरण कर दिया जाएगा।

इन शेयरों के सभी संबंधित लाभ जैसे लामाश, वॉनरा शेयर, रिजर्व, फंडोसिडेशन, फ्रैन्चाइज शेयर आदि सादर्य दृश्य छोड़ कर भी नियमानुसार आईडीपीएफ में अंतरित कर दिए जाएंगे। इसलिए सदस्यों को फिर से आग्रह किया जाता है कि शेयरों के आईडीपीएफ के सीमेंट खाते में अंतरण होने के बाद कम्पनी पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि सदस्यों को आईडीपीएफ के सीमेंट खाते से आईडीपीएफ नियमों के अनुसार शेयर प्राप्त करने का अधिकार है।

सादर्य यदि चाहें तो किसी सस्वीकरण या अधिक जानकारी के लिए अधोस्ताहरी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से  
कृते गुडयियर इंडिया लिमिटेड

तिथि अप्रैल 7, 2017  
स्थान : नई दिल्ली

Sd/-  
पंकज गुप्ता  
कम्पनी सचिव

**जनसत्ता** Sat, 08 April 2017  
[epaper.jansatta.com/c/181](http://epaper.jansatta.com/c/181)

